

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 1748] No. 1748] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 13, 2019/ज्येष्ठ 23, 1941

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 13, 2019/JYAISTHA 23, 1941

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2019

का.आ. 1956(अ).—केंद्रीय सरकार, मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (1994 का 42) की धारा 13ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय मानव अंग और ऊतक अपसारण और भंडारकरण नेटवर्क की स्थापना करती है।

- 2. राष्ट्रीय मानव अंग और ऊतक अपसारण तथा भंडारण नेटवर्क का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, जिसकी अधिकारिता संपूर्ण भारत पर होगी।
- 3. राष्ट्रीय मानव अंग और ऊतक अपसारण और भंडारकरण नेटवर्क स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा।
- 4. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[सं. एस-12011/10/2016-एमजी/एमएस]

मंदीप के. भंडारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2019

S.O. 1956(E).— In exercise of the powers conferred by section 13C of the Transplantation of Human Organs and Tissues Act, 1994 (42 of 1994), the Central Government hereby establishes the National Human Organs and Tissues Removal and Storage Network.

2853 GI/2019 (1)

- 2. The Headquarter of the National Human Organs and Tissues Removal and Storage Network shall be at New Delhi having jurisdiction over the whole of India.
- 3. The National Human Organs and Tissues Removal and Storage Network shall function under the overall control and supervision of the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.
- 4. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. S-12011/10/2016-MG/MS] MANDEEP K. BHANDARI, Jt. Secy.